Immediate/RTI Matter

No.I-18015/6/2013-NM.II
Government of India
Ministry of Home Affairs
Naxal Management Division
North Block

New Delhi dated, 25th June, 2013

To

Ch. Ravi Kumar Rajwal Jatav,
E-43, Pandav Nagar,
Patparganj, Delhi-110091

Subject: First Appeal under Right to Information Act, 2005.

Sir,

This has reference to your First Appeal application dated 4.4.2013 under Right to Information Act, 2005 addressed to the Ministry of Home Affairs on the above mentioned subject. The said application was received by the undersigned vide OM No.VI.23014/24/2012-VS dated 13th June, 2013 of this Ministry.

2. It is observed that you have preferred this Appeal alleging that the CPIO has not supplied the desired information in respect of your RTI application dated 16.1.2013. In this regard, it is informed that NM Division is concerned with only one point of your application i.e. point No. 3. The requisite information on this point was provided to you by the undersigned vide letter of even number dated 1st May, 2013 (copy enclosed alongwith a copy of the FAQ).

Encl: as above

RECEIVED
26 JUN 2013
CPIO/MHA (NB)

Yours faithfully,

(Shantanu)
CPIO & Director (NM)
Tel. : 2309 2962

Copy for information to :

Shri Pranab Biswas, Under Secretary (VS), MHA , NDCC.II Building, 3rd Floor, Jai Singh Road, New Delhi w.r.to their letter No.VI.23014/24/2012-VS, dated 13th June, 2013. .

RTI Matter/Time Bound

F. No. II-18015/06/2013-NM-II
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Naxal Management Division)

North Block, New Delhi
Dated the 1st May, 2013

To,

Ch. Ravi Kumar Rajwal Jatav
National President
Swabhiman ... Ek Mission
E-43, Gali No. 2
Pandav Nagar, Patparganj
Delhi – 110 091.

Sub: Information sought under the RTI Act, 2005 vide your application dated NIL.

Please refer to this Ministry's letter No. 23014/24/2012-VS dated 8th April, 2013 in connection with your application dated NIL under the RTI Act, 2005.

2. Available information on point no. 3 of the above said application is furnished as under:-

2.1 'Police' and 'Public Order' are State subjects and action with respect to maintenance of law and order primarily lies in the domain of the State Governments concerned, who deal with the various issues related to Left Wing Extremist (LWE) activities in the States. The Central Government closely monitors the situation and supplements the efforts of the State Governments over a wide range of measures. The Central Government assists the State Governments through security and development related Schemes. In security related interventions, apart from directly deploying Central Armed Police Forces (CAPFs), the Government of India provides assistance for capacity building of the States through Schemes like the Security Related Expenditure (SRE) Scheme, the Special Infrastructure Scheme (SIS), the Construction/ Strengthening of Fortified Police Stations Scheme, etc. On the development front, the Central Government is implementing Special Schemes for LWE affected areas like the Integrated Action Programme (IAP), the Road Requirement Plan-I etc.

2.2 Based on violence profile, presently 106 districts in 9 LWE affected States are covered under the Security Related Expenditure (SRE) Scheme, for the purpose of reimbursement of expenditure incurred by the State Governments on Anti-Naxal Operations. The list of such districts is annexed.

... Contd. 2/-

Appeal u/s 19(1) of the Act, if any, is to be made within 30 days of receipt of this communication and the same in respect of this information lies with Shri M.A. Ganapathy, Joint Secretary, Naxal Management Division, Room No. 193-A/1, North Block, New Delhi -110 001.

(Shantanu)
Director & CPIO

Copy to:-

1. Shri Girish Kumar, Director (VS) & CPIO, 3rd Floor, NDCC-II Building, New Delhi for information w.r.t. the letter No. 23014/24/2012-VS dated 8th April, 2013.
2. Shri S. Samant, US (RTI), MHA, North Block for information w.r.t. to O.M. No. A-43020/01/2013-RTI dated 28.01. 2013.

173
123

Annexure

List of 106 districts covered under the SRE Scheme for LWE affected States

S. No.	State	Number of Districts	Name of Districts
1.	Andhra Pradesh	16	Anantapur, Adilabad, East Godavari, Guntur, Karimnagar, Khammam, Kurnool, Medak, Mehboobnagar, Nalgonda, Prakasam, Srikakulam, Visakhapatnam, Vizianagaram, Warangal and Nizamabad.
2.	Bihar	22	Arwal, Aurangabad, Bhojpur, East Champaran, Gaya, Jamui, Jehanabad, Kaimur, Munger, Nalanda, Nawada, Patna, Rohtas, Sitamarhi, West Champaran, Muzaffarpur, Sheohar, Vaishali, Banka, Lakhisarai, Begusarai and Khagaria.
3.	Chhattisgarh	16	Bastar, Bijapur, Dantewada, Jashpur, Kanker, Korea (Baikunthpur), Narayanpur, Rajnandgaon, Sarguja, Dhamtari, Mahasamund, Gariyaband Balod, Sukma, Kondagaon and Balrampur.
4.	Jharkhand	21	Bokaro, Chatra, Dhanbad, East Singhbhum, Garhwa, Giridih, Gumla, Hazaribagh, Koderma, Latehar, Lohardagga, Palamu, Ranchi, Simdega, Saraikela-Kharaswan, West Singhbhum, Khunti, Ramgarh, Dumka, Deoghar and Pakur.
5.	Madhya Pradesh	1	Balaghat
6.	Maharashtra	4	Chandrapur, Gadchiroli, Gondia and Aheri
7.	Odisha	19	Gajapati, Ganjam, Keonjhar, Koraput, Malkangiri, Mayurbhanj, Navrangpur, Rayagada, Sambhalpur, Sundargarh, Nayagarh, Kondhamal, Deogarh, Jajpur, Dhenkanal, Kalahandi, Nuapada, Bargarh and Bolangir
8.	Uttar Pradesh	3	Chandauli, Mirzapur and Sonebhadra,
9.	West Bengal	4	Bankura, West Medinipur, Purulia and Birbhum
Total		106	

*****

बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1 : माओवाद क्या है?

उत्तर : माओवाद माओत्से तुंग द्वारा विकसित साम्यवाद का एक रूप है। यह सशस्त्र विद्रोह, जन संघटन तथा रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से राज्य की सत्ता को हथियाने का एक सिद्धान्त है। राज्य संस्थाओं के विरुद्ध दुष्प्रचार और गलत सूचना को अतिरिक्त साधनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। माओ ने इस प्रक्रिया को 'प्रोट्रेक्टेड पिपल्स वार' की संज्ञा दी।

प्रश्न 2 : माओवादी विचारधारा की मुख्य बात (थीम) क्या है?

उत्तर : माओवादी विचारधारा की मुख्य थीम राज्य की सत्ता को हथियाने के लिए हिंसा का एक औजार के रूप में सहारा लेना है। माओवादी विद्रोह के सिद्धान्त के अनुसार 'शस्त्र धारण करना अपरक्राम्य है'।

प्रश्न 3 : भारतीय माओवादी कौन हैं?

उत्तर : भारत में सबसे बड़ा और सबसे हिंसक माओवादी संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) है। सी पी आई (माओवादी) अनेक अलग-अलग गुटों का समूह है जिनका 2004 में दो सबसे बड़े माओवादी गुटों-पी डब्ल्यू तथा एम सी सी आई में विलय हो गया। सी पी आई (माओवादी) तथा इसके सभी गुटों को विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया गया है।

प्रश्न 4 : सी पी आई (माओवादी) का पार्टी ढांचा क्या है?

उत्तर : केन्द्रीय स्तर पर पार्टी ढांचे में पोलितब्यूरो (पी बी), केन्द्रीय समिति (सी सी) और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन (सी एम सी) शामिल हैं। निम्नलिखित विभाग सी एम सी की सीधे कमान्ड में हैं :

- तकनीकी अनुसंधान एवं शस्त्र विनिर्माण यूनिट (टी आर ए एम)
- क्षेत्रीय कमान (आर सी)।
- विशेष कार्य दल (एस ए टी)।
- सैन्य आसूचना (एम आई)।
- 'जंग' का प्रकाशन और सम्पादकीय बोर्ड।
- केन्द्रीय सैन्य अनुदेशक दल (सी एम आई टी)।

- ❖ संचार।
- ❖ टैक्टीकल काउंटर आफेंसिव कैम्पेन (टी सी ओ सी)।
- ❖ पिपल्स लिब्रेशन गुरिल्ला आर्मी (पी एल जी ए)।

सी पी आई (माओवादी) का एक आसूचना ढांचा भी है जिसे पिपल्स सिक्विरिटी सर्विस (पी एस एस) के नाम से जाना जाता है।

राज्य स्तर पर राज्य समितियां, राज्य सैन्य आयोग आदि हैं जो नीचे जोनल कमैटी, एरिया कमैटी आदि के स्तर तक हैं।

प्रश्न 5 : पी एल जी ए की संरचना किस प्रकार है?

उत्तर : पी एल जी ए में निम्नलिखित तीन बल शामिल हैं:

1. मुख्य बल -
   - क) कंपनियां
   - ख) प्लाटून
   - ग) विशेष कार्य दल (हत्या दस्ते)
   - घ) आसूचना यूनिटें
2. सहायक बल -
   - क) विशेष गुरिल्ला दस्ते
   - ख) स्थानीय गुरिल्ला दस्ते
   - ग) प्लाटून
   - घ) जिला/मंडल स्तर कार्रवाई बल (हत्या दस्ते)
3. बेस फोर्स -
   - क) पिपल्स मिलिटिया
   - ख) ग्राम रक्षक दल
   - ग) क्षेत्र (एरिया) रक्षक दल
   - घ) स्व-रक्षा दस्ते

प्रश्न 6 : प्रमुख संगठन कौन से हैं?

उत्तर : प्रमुख संगठन मूल माओवादी पार्टी की प्रशाखाएं हैं जो विधिक जिम्मेदारी से बचने के लिए अपना अलग अस्तित्व होने का दावा करते हैं। ये प्रमुख संगठन पार्टी का प्रचार करते हैं गलत सूचना फैलाते हैं, विद्रोह के लिए निधियां जुटाते हैं, विधिक मामलों में कॉडरों की सहायता करते हैं तथा भूमिगत कॉडरों को सुरक्षित आवास और आश्रय भी मुहैया कराते हैं। प्रमुख संगठनों के कार्यकर्ता माओवादी विचारधारा में अंतर्निहित हिंसा

पर बौद्धिक मुल्लमा चढ़ाते हैं। दूसरे शब्दों में ये खूनखराबे की लीपापोती करते हैं और माओवादी विचारधारा को ऐसे प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं कि वह शहरी श्रोताओं और मीडिया को अच्छा लगे। ये प्रमुख संगठन भारत के 20 राज्यों में मौजूद है।

प्रश्न 7 : **वे कौन से राज्य हैं जिनको वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित समझा जाता है?**

उत्तर : छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार राज्यों को गंभीर रूप से प्रभावित समझा जाता है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्यों को आंशिक रूप से प्रभावित समझा जाता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों को मामूली रूप से प्रभावित समझा जाता है। आंध्र प्रदेश, जिसे पहले गंभीर रूप से प्रभावित समझा जाता था, में बहुत सुधार हुआ है। कर्नाटक में सी पी आई (माओवादी) के कुछ सशस्त्र कॉडर विद्यमान हैं। ये असम और अरुणाचल प्रदेश में पैठ बना रहे हैं जिसके गंभीर दीर्घ-कालिक रणनीतिक निहितार्थ हैं।

प्रश्न 8 : **वामपंथी उग्रवादियों द्वारा वर्ष 2001 से कितने नागरिकों की हत्या की गई है?**

उत्तर : वर्ष-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	मारे गए नागरिक
2001	439
2002	382
2003	410
2004	466
2005	524
2006	521
2007	460
2008	490
2009	591
2010	720
2011	469
2012	300

प्रश्न 9 : माओवादी नागरिकों की हत्या क्यों करते हैं?

उत्तर : माओवादी विभिन्न कारणों से नागरिकों की हत्या करते हैं। सर्वप्रथम ये उन लोगों की हत्या करते हैं जो इनके आधिपत्य वाले क्षेत्रों में इनकी विचारधारा को नहीं मानते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में सत्ता और शासन में रिक्तता पैदा करने के लिए भी हत्या करते हैं तथा उस रिक्त स्थान को इनके द्वारा भरा जाता है। ये तथाकथित 'वर्ग शत्रुओं' (क्लास इनेमीज) की भी हत्या करते हैं। इन सभी हत्याओं से परिस्थितियों की ऐसी कड़ी बन जाती है जिसमें पीड़ितों के संबंधी प्रचंड तरीके से ऐसे माओवादियों का विरोध कर सकते हैं। इससे ऐसे और बहुत से लोगों की हत्या होती है। अंततः ऐसी स्थिति आ जाती हे जिससे इनके आधिपत्य वाले क्षेत्रों में 'हत्या करने की शक्ति' ही निम्नतर और 'राजनैतिक रूप से कम जागरूक' कॉडरों के लिए निर्दोष लोगों की हत्या करने का एक मात्र कारण बन जाती है।

प्रश्न 10 : ये स्कूलों और अन्य आर्थिक महत्व की अवसंरचना पर क्यों हमला करते हैं?

उत्तर : माओवादी अपने गढ़ों में जनता को मुख्यधारा से अलग रखते हैं। स्कूलों पर इसलिए हमला किया जाता है क्योंकि शिक्षा से स्थानीय लोगों में पूछताछ करने की भावना बढ़ती है तथा साथ ही बच्चों में आजीविका के वैकल्पिक साधनों के लिए कौशलों का विकास होता है। इस तरह के विकास को माओवादी अपने अस्तित्व के लिए प्रबल खतरों के रूप में देखते हैं।

प्रश्न 11 : वामपंथी उग्रवादियों द्वारा वर्ष 2001 से कितने स्कूल नष्ट किए गए हैं?

उत्तर : वर्ष-वार आंकड़े निम्न प्रकार हैं:

वर्ष	नष्ट किए गए स्कूल
2001	01
2002	02
2003	01
2004	05
2005	08
2006	59
2007	43
2008	25
2009	71
2010	39
2011	27
2012	03

प्रश्न 12 : सी पी आई (माओवादी) में बड़ी संख्या में महिला कॉडर क्यों हैं?

उत्तर : छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में माओवादियों ने युवा बच्चों को शामिल करके 'बाल दस्तों' के रूप में बाल सेना 'चिल्ड्रंस' मिलिटिया, गठित की है। इसका उद्देश्य युवा बच्चों का विचार परिवर्तन करना और उनमें माओवादी विचारधारा पैदा करना तथा उन्हें सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना है। अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों से अलग होना नहीं चाहते हैं किंतु जुल्म और खतरों को देखते हुए अनेक गरीब आदिवासी माता-पिता बच्चियों से अलग होना पसंद करते हैं। आदिवासियों की यह अमानवीय प्रथा माओवादी कॉडरों में बड़ी संख्या में युवा लड़कियों/महिलाओं की मौजूदगी का कारण है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में इनको आगे रखा जाता है तथा दोनों तरफ से गोलीबारी के दौरान होने वाली कैज्युलिटी की स्थिति में इन्हें प्रचार के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है।

प्रश्न 13 : 'आप्रेशन ग्रीनहंट' क्या है?

उत्तर : 'आप्रेशन ग्रीनहंट' शब्द गृह मंत्रालय के किसी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई आप्रेशन है ही नहीं। इसका सीधा कारण यह है कि गृह मंत्रालय अभियानों (आप्रेशनों) की योजना तैयार नहीं करता है अथवा निष्पादित करता है। चूंकि कानून एवं व्यवस्था राज्य के विषय हैं, इसलिए नक्सल-रोधी सभी अभियानों की योजना राज्य बलों द्वारा तैयार की जाती है और इनमें केन्द्रीय बलों द्वारा सहायता की जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि 'आप्रेशन ग्रीनहंट, का प्रयोग एक स्थानीय अभियान (आप्रेशन) के लिए छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के एक पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया था। इस अभियान (आप्रेशन) का उद्देश्य हरे छलावरण तंबुओं में मौजूद बस्तर वनों में नक्सली ठिकानों को ध्वस्त करना है। किंतु माओवादी प्रचारकों और प्रमुख संगठनों ने बड़ी सुनियोजित रणनीति से इसे केन्द्र सरकार की कार्रवाई बताया तथा भोलवाले आदिवासियों को यह समझाया गया कि उनको सरकारी तंत्र द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है कि यह प्रचार बहुत ही चतुराई से किया गया, यहां तक कि मुख्यधारा वाले मीडिया से जुड़े अनेक लोग भी यह विश्वास करते हैं कि कोई 'आप्रेशन ग्रीनहंट' है।

तथापि यह तथ्य बना हुआ है कि सभी अभियानों की योजना राज्य बलों द्वारा तैयार की जाती है/उनके द्वारा उनका नेतृत्व किया जाता है तथा अन्तर-राज्य अभियानों की योजना केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सहयोग से संबंधित राज्यों द्वारा तैयार की जाती है। इसके अतिरिक्त यही भी सच्चाई है कि सुरक्षा बलों द्वारा जितने नागरिकों की हत्या की जाती है उससे काफी अधिक संख्या में नक्सलियों द्वारा नागरिकों/सुरक्षा बलों की हत्या की जाती है जो इस प्रचार के विपरीत है कि सुरक्षा बल निर्दोष लोगों पर जुल्म करते हैं।

प्रश्न 14 : **वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार की नीति क्या है?**

उत्तर : भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकार सुनिश्चित करने, शासन और अवबोधन प्रबंधन में सुधार के क्षेत्रों में समग्र दीर्घकालिक नीति में विश्वास रखती है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती के अतिरिक्त अधिकांश सुरक्षा संबंधी उपायों का उद्देश्य राज्य बलों द्वारा क्षमता निर्माण में सहायता करना है। लोक अवसंरचना और सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से विकास के मोर्चे पर 82 प्रभावित जिलों को शामिल करके एक एकीकृत कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक महत्वाकांक्षी सड़क विकास योजना की परिकल्पना की गई है। अधिकारियों का एक अधिकार प्राप्त समूह फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की गहन रूप से निगरानी करता है। वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन और गौण वन उत्पादों पर स्थानीय समुदायों की हकदारी सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रश्न 15 : **वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों की तैनाती का स्तर क्या है?**

उत्तर : इस समय वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 81 बटालियन तथा अनेक कोबरा टीमें तैनात हैं। आगामी वर्षों में तैनाती के स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, राज्यों ने भी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में अपने बल तैनात किए हैं।

प्रश्न 16: **क्या सी पी आई (माओवादी) के आतंकवादी संगठनों और दूसरे देशों से संबंध हैं?**

उत्तर : सी पी आई (माओवादी) के पूर्वोत्तर के अनेक विद्रोही संगठनों (विशेष रूप से मणिपुर के आर पी एफ/पी एल ए के साथ गहन भाईचारे के संबंध हैं। इनमें से अधिकांश संगठनों के संबंध भारत विरोधी विदेशी ताकतों से हैं। सी पी आई (माओवादी) ने जम्मू एवं कश्मीर के आतंकवादी गुटों के साथ भी बहुधा अपनी एकजुटता व्यक्त की है। ये संबंध भारत राज्य के विरुद्ध उनके 'स्ट्रेटेजिक यूनाइटेड फ्रंट' के भाग हैं। सी पी आई (माओवादी) के फिलीपिंस, टर्की आदि में भी विदेशी माओवादी संगठनों से गहन संबंध हैं। यह संगठन 'कॉर्डीनेशन कमैटी ऑफ माओइस्ट पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशिया' (सी सी ओ एम पी ओ एस ए) का भी सदस्य है जिसमें नेपाली माओवादी शामिल हैं।

प्रश्न 17 : वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध एक आम नागरिक क्या कर सकता है?

उत्तर : एक आम नागरिक निम्नलिखित चीजें कर सकता है :

क) सी पी आई (माओवादी) तथा अन्य वामपंथी उग्रवादी गुटों द्वारा निर्दोष लोगों पर की जा रही हिंसा और बर्बर अत्याचारों की सोशल मीडिया सहित किसी भी उपलब्ध मीडिया में निंदा करना।

ख) राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को हिंसक माओवादी विचारधारा के खतरों के बारे में देशवासियों को जानकारी देना।

ग) भारत राज्य के विरुद्ध माओवादी प्रमुख संगठनों और माओवादी विचारधारा वाले लोगों/सहानुभूति रखने वालों द्वारा किए जा रहे प्रचार युद्ध को स्वीकार करना सीखना।

घ) माओवादी विचारधारा और समझ के सर्वसत्तात्मक और दमनकारी स्वरूप के विपरीत हमारे संविधान में निर्धारित जीवन के लोकतांत्रिक तरीके को लोगों के मन में बिठाना तथा विकसित करना।

37/DIR/NM/13
14/06/13

157

By Speed Post
RTI MATTER
(To be issued in Hindi)

No. VI.23014/24/2012-VS
Government of India
Ministry of Home Affairs
(PP Division)

NDCC-II Building, 3rd Floor,
Jai Singh Road,
New Delhi-110001, dated:13th June, 2013

To,

Ch. Ravi Kumar Rajwal Jatav,
E-43, Pandav Nagar, Patparganj,
Delhi-110091.

Subject:- First Appeal under the RTI Act, 2005.

***

Sir,

Please refer to your First Appeal dated 04.04.2013 received in this unit on transfer on 02.05.2013.

PA - Pl. record
US(NM-II)

2. It is observed that you have preferred this appeal alleging non receipt of the desired information. In this regard, it is intimated that this unit is concerned with only one point of your application i.e. point No. 16 regarding SPG and NSG security provided to individuals. The requisite information on this point was sent to you vide letter of even no. dated 08.04.2013/15.04.2013 (English and Hindi Versions). A copy of these letters is enclosed for ready reference.

14/6/13

3. As other points listed in your RTI application did not relate to this unit, your RTI application has been transferred to concerned CPIO's vide letter of even no. dated 08.04.2013 referred to above.

14/6

4. This issues with the approval of Joint Secretary (PP & VS) and First Appellate Authority.

DO(NM-II)
Sh Jena

Encls. As above.

Yours faithfully,

Pranab Biswas
(Pranab Biswas)
Under Secretary (VS)
Tele:23438086

Copy along with Appeal dated 04.04.2013 forwarded for necessary action to :

(i) Shri K.K. Mittal, JS(P-I), Room No.110, MHA, North Block, New Delhi.
(ii) Shri Nirmaljit Singh Kalsi, JS(Police-II), MHA, North Block, New Delhi.
(iii) Shri K.K. Pathak, JS(UT), Room No.193-A/I, MHA, North Block, New Delhi.
(iv) Shri Dev Kumar, Director(DM-I), NDCC-II Building, New Delhi.
(v) Shri Shantanu, Director (NM), Room No.117, MHA, North Block, New Delhi.
(vi) Joint Secretary(HR), MHA, NDCC-II Building, 4th Floor, New Delhi.
(vii) Joint Secretary(J&K), MHA, North Block, New Delhi
(viii) Joint Secretary (IS-I), MHA, North Block, New Delhi.
(ix) Shri Rajiv Jain, Under Secretary (AVD-II), D/o.Personnel & Training, North Block, New Delhi.
(x) Under Secretary(OR.II/Admn.), Ministry of Petroleum & Natural Gas, Shastri Bhavan, New Delhi – 110001.
(xi) CMD, Indraprastha Gas Limited, IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, Sector 9, R.K Puram, New Delhi – 110022.
(xii) Shri Rahul Dua, Director(Security), Cabinet Secretariat, North Block, New Delhi.
(xiii) Joint Secretary(EE-I), Ministry of Human Resource Development, Room No.217-C, Shastri Bhawan, New Delhi.
(xiv) Shri Priya Mitra Kaushik, ACP/RTI & APIO, Delhi Police Headquarter MSO. Building, 8th Floor, I.P. Estate, New Delhi-2.
(xv) Shri S. Samanta, Under Secretary, RTI Cell, MHA, North Block, New Delhi w.r.t. OM No.A-43020/01/2013-RTI dated 15.04.2013 addressed to JS Delhi) and JS(PM), MHA, for information.

Appl. 88/RTI/2013
15/4/13

159

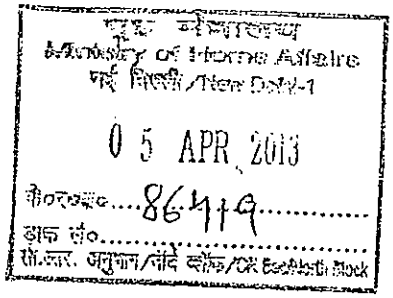

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली/New Delhi-1
05 APR 2013
डायरी सं.....86419.........
डाक सं.......
सी.आर. अनुभाग/नॉर्थ ब्लॉक/CR Section/N. Block

श्रीमान उपय अपीलिय अधिकारी
भारतीय गृह मंत्रालय नार्थ ब्लॉक

विषय सूचना के अधिकार के विषय में,

महोदय,
मैंने दिनांक 16/1/2013 को RTI के माध्यम से उक्त प्रश्नो के विषय में जानकारी मांगी थी लेकिन आज तक मुझे किसी भी प्रश्न के विषय में कोई जानकारी नहीं मिली है। मेरा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द मुझे जानकारी उपलब्ध करायें आप कि अति कृपा होगी।

Appeal
JS (Delhi) JS (PM)

नाम: श्री रवि कुमार रजवाल जाटव
पता: E 43 पाण्डव नगर पटपड़ गंज दिल्ली 110091
(M) 9810378083

Ravikumar
4/4/2013

JS(E)
05/4
US(RTI)
7/4/13
S.O. (RTI)

सेवा में,

श्रीमान प्रथम अधिकारी

160

161

5

316

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs

जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6

(नियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i)

रसीद / RECEIPT

सं. /No. 23402

दिनांक 20
Dated 16/01/2013.

श्री/श्रीमती/सुश्री
Received From Shri/Smt./Km. प्रो० रीढ़ कुमार राजवाल

के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ
with Letter No./Reference No. .... के दिनांक 20 Dated ....20........

बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या
Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No. ....

के रूप में रूपये की नकद धनराशि
the sum of Rupees by Cash .... Ten Rupees ....

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।
on account of fee under Right to Information Act 2005.

आद्याक्षर / Initials

रूपये / *Rs.* 10/-

पदनाम / Designation

162 (5) 315

4-12 में कौन-2 से राज्यों में सबसे ज्यादा SC/ST को केस
एनकाउंटर, हत्या, जमीन कब्जाने के मामले दर्ज हुए जानकारी उपलब्ध करायें
5 हरियाणा प्रदेश में दलितों पर बलात्कार के केस दर्ज हुए हैं इनमें SC/ST
वर्ग कि महिलाओं की संख्या कितनी है दलितों के बलात्कार हुए हैं भारतीय
गृह मंत्रालय ने इनको रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं व SC/ST कानून
का सभी प्रदेशों में सख्ती से पालन हो सके इसके लिये क्या-2 कदम
उठाये प्रतिलिपि कापी उपलब्ध करायें व जानकारी उपलब्ध करायें

6 आतंकवाद कि परिभाषा क्या है एवं भारत के कौन-2 से राज्यों में फैला है
व यह कितने प्रकार का है व इसमें कौन-2 से जाति व धर्म के लोग
शामिल है जानकारी उपलब्ध करायें

7 SC/ST वर्ग के लोगों पर होने वाले अत्याचार क्यों नहीं रुक पा रहे हैं
कानून कमजोर है या कानून का पालन करवाने वाली एजेंसी जैसे पुलिस और
प्रशासन जानकारी उपलब्ध करायें

8 SC/ST कानूनों का प्रदेशों में सख्ती लागू से पालन हो सके इसके लिये
भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा क्या-2 काम किये जाते हैं जैसे राज्यों के
DGP के साथ कितनी मिटिंग 2011-12 में हुई है व उनको क्या
निर्देश दिये गये हैं प्रतिलिपि कापी उपलब्ध करायें व जो एडवाइजरी
मंत्रालय द्वारा राज्य-2 पर भेजा जाता है उसे कौन-2 से राज्य प्रशासन
प्रशासन द्वारा लागू किये गये है इसके बारे में कोई जानकारी गृह मंत्रालय
के पास उपलब्ध है जानकारी उपलब्ध करायें

9 CRPF, CISF, BSF, वर्तमान में 2012 में इनके DGP के क्या नाम
है व जब से इन बलों का निर्माण हुआ है तब से अब तक
इनके कितने DGP बन चुके हैं उनके नाम व कार्य काल कि
अवधि व उनकी कैटेगरी SC/ST/OBC/GENERAL
है जानकारी उपलब्ध करायें

10 CBI चीफ कौन नियुक्त करता है Deptt या गृह मंत्रालय
जानकारी उपलब्ध करायें

11 CBI कौन-2 से केसों कि जांच करती है जानकारी उपलब्ध
करायें

12 गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली पुलिस को ऐसे निर्देश दिये गये हैं जिसमें

162
3५४

Reg. No. : District East / Society / S&...

SWABHIMAN ..... EK MISSION

(National Origination of India)

National Office : E-43, GALI NO. 2, PANDEV NAGAR, PATPARGANJ, DELHI-91

सेवा में,

श्री मान जन सूचना अधिकारी
भारतीय ग्रह मंत्रालय नार्थ ब्लाक

विषय :- शिकायत पत्र के विषय में व अन्य विषयों पर जानकारी हेतु

महोदय,
निवेदन यह है कि आपसे सूचना अधिकार सूचना (2005) के माध्यम से निम्नलिखित प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ कृपया प्रश्नों के उत्तर उनके क्रमबद्ध संख्या के अनुसार व हिन्दी सरल भाषा में उपलब्ध कराये

1 दिनांक 3/8/2012 को एक शिकायत पत्र डायरेक्टर जी श्री A.K SAXENA जी के नाम से लाबेदन दिया था उस शिकायत पत्र अनुसार क्या कार्यवाही कि गई कार्यवाही कि प्रतिलिपि कापी उपलब्ध कराये व दिल्ली पुलिस व दिल्ली सरकार क्या रिपोर्ट भारतीय ग्रह मंत्रालय को भेजी है उसकी प्रतिलिपि कापी उपलब्ध कराये व शिकायत पत्र में जिनको भी अपराधी बताया गया है उन अपराधियों को दण्ड करने के लिये क्या-2 कदम उठाये गये सभी विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराये व प्रतिलिपि कापी उपलब्ध कराये शिकायत पत्र कि कापी सलग्न) 17733 नंबर

2 साम्प्रदायिकता क्या है इसकी परिभाषा क्या है सरकार द्वारा इसकी क्या परिभाषा तय कि गई प्रतिलिपि कापी उपलब्ध कराये व यूपी में कितने साम्प्रदायिक दंगे 2011-12 के बीच हुए किस-2 व कौन-2 से जिलो में व कितने-2 दिनो तक वहा कर्फ्यू लगा या धारा 144 प्रयोग हुआ है व इनको रोकने के लिये भारतीय ग्रह मंत्रालय ने क्या कदम उठाये प्रतिलिपि कापी उपलब्ध कराये

3 नक्सलवाद क्या है इसकी सरकारी परिभाषा क्या है यह कौन-2 से राज्यो में व जिलो में फैला है इनकी क्या मांगे है, व इसको रोकने के लिये ~~सरकार~~ क्या कदम उठाये जा रहे है जानकारी उपलब्ध कराये

व अन्य राज्यों में जो P.N.G. या C.N.G गैस सप्लाई को
...है जैसे दिल्ली I.G.L. इत्यादि इन कम्पनियों ने जो गैस पम्प लाइन
...न बिछा रखी है व जैसे 20 mm. 32 mm. 63 mm. 125 mm. 180 mm व
...लाइन इन पम्प लाइनों से घरों में C.N.G गाड़ियों पर गैस सप्लाई की
...है और एक जमीन से काफी ऊपर डाली हुई है व इसके साथ-2
...भी कि केवल व पानी कि पम्प लाइन जैसे जमीन के साथ-2 डाली हुई
प्राकृतिक आपदा, आग के दौरान या एक साथ C.N.G व P.N.G लाइनों के साथ
मानवीय क्षति न हो जाने के लिये भारत सरकार के डिजास्टर मैनेजमेन्ट
। कि क्या आपका कोई या किसी प्रकार के दिशा निर्देश गृह मंत्रालय
दिल्ली सरकार व I.G.L कम्पनी को सुरक्षा सम्बन्धी मानकों को अपनाने
लिये दिये गये हैं किसी प्रकार की चेतावनी सम्बन्धी दिशा निर्देश
दिल्ली या अन्य राज्यों को भेजे गये हैं उसकी प्रति [illegible] कापी
उपलब्ध करायें व समस्त बिन्दुओं पर जानकारी उपलब्ध करायें

क्या किसी राज्य सरकार को आतंकवादियों के खिलाफ दर्ज हुई FIR
। निरस्त करने का अधिकार है या नहीं जानकारी उपलब्ध
करायें

राज्य में अपराधियों पर दर्ज हुई FIR को सरकार बदलने पर
FIR निरस्त करने का अधिकार है जानकारी उपलब्ध करायें

G.L गैस पाइप लाइन कि सुरक्षा सम्बन्धी क्या दिशा निर्देश
...ली डीलरों को गृह मंत्रालय ने दिये हैं अचानक गैस पम्प लाइन
आग लगने पर या किसी व्यक्ति या कम्पनी द्वारा कार्य से या
...न द्वारा नुकसान पहुंचाने कि स्थिति में जीवन की सुरक्षा निर्देश
दिशा निर्देश कि प्रतिलिपि कापी उपलब्ध करायें व जानकारी
उपलब्ध करायें

डिजास्टर मैनेजमेन्ट भारत सरकार गृह मंत्रालय के कार्य क्या
जानकारी उपलब्ध करायें

पूरी दिल्ली में जो I.G.L गैस पम्प लाइन [illegible] पर
प्राकृतिक आपदा कि स्थिति में गैस रिसाव व आग लग
डिजास्टर मैनेजमेन्ट कि भूमिका क्या होगी व उसके क्या
जानकारी उपलब्ध करायें

6 डिजास्टर मैनेजमेन्ट विभाग के अधिकारियों के नाम
अनुसार व उनसे मिलने का समय व उनका टेली फो...
[illegible]

165

गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली पुलिस को कोई ऐसे नीति नियम जिससे यह पता चल सके कि महिला उत्पीड़न होने पर पुलिस द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे कौन उस शिकायत या केस कि तफ्तीश करेगा व महिला उत्पीड़न सम्बंधी शिकायत आने पर क्या त्वरित कार्य किये जायेंगे थाना स्तर पर व कौनसी रैंक का अफसर उस पर कार्यवाही करेगा जानकारी उपलब्ध करायें

दिल्ली पुलिस कि जो महिला उत्पीड़न सैल कि अधिकारी है उनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि किस महिला शिकायत कर्ता से किस तरह बात करनी है व ठीक तरह से गौर से उनकी शिकायत सुनी जाये इस विषय पर जानकारी उपलब्ध करायें व प्रति लिपि कापी उपलब्ध करायें

I.G.L गैस पाइप लाइन लिकेज होने पर जान माल कि हानि होने पर किसी प्रकार का कोई मुआवजा राशि पिड़ित व्यक्तियों, परिवारो को देने का प्रावधान है भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा या I.G.L गैस कम्पनी द्वारा जानकारी उपलब्ध करायें व पाना प्रति लिपि कापी उपलब्ध करायें

S.P.G. सुरक्षा, N.S.G. सुरक्षा के बारे मे जानकारी उपलब्ध करायें। यह किस V.I.P या V.V.I.P को मिलती है और वर्तमान में मिली हुई है उनके पद व नाम क्या-2 है जानकारी उपलब्ध करायें

7 प्रत्येक थाना स्तर पर एक महिला Inspector व एक SC/ST Inspector तैनात हो इस प्रकार का कोई निर्देश दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय ने जारी किया है तो पाना प्रति लिपि कापी उपलब्ध करायें

8 जिला स्तर DCP स्तर पर एक महिला DCP हो व एक पुलिस कि कमेटी हो जो प्रत्येक सप्ताह या 15 दिन या महीने में महिला संगठनों के साथ मीटिंग रखे व महिलाओं कि समस्याओं व शिकायतों पर गौर करके उचित कार्य वाही करे व महिलायें अपना व कई समस्या जिला स्तर कमेटी मे निःसंकोच पुलिस अधिकारियों [illegible] अब तक इस प्रकार के नीति नियम गृह मंत्रालय ने राज्यों पुलिस व अन्य राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के लिये या व के व एक एडवाइजरी या नीति नियमों के तहत उनको जारी किये है जानकारी उपलब्ध करायें व प्रतिलिपि कापी उपलब्ध करायें

न जिन,
नकल [illegible]

2 ट्रैफिक सत्येन्द्र गर्ग को नुसकर निजीराम के लिये कि जो तक दिनांक - 11/1/2013 तक वह गये क्यों नहीं हैं उनके न जाने का कारण बतायें व यह भी बतायें कि कौनसे विशेष कार्य के उद्देश्य से उनको दिल्ली में रोका गया है. जानकारी उपलब्ध करायें

3 दिल्ली पुलिस कि कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिये गृह मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये गये जैसे महिला उत्पीड़न के विषय में SC/ST वर्ग के उत्पीड़न के विषय में व [illegible] के विषय में व किसी भी प्रकार के अपराध होने के विषय आदि विषयों पर जानकारी उपलब्ध करायें व उठाये गये कदमों की प्रति लिपि कापी उपलब्ध करायें

4 भारत में कुल IPS कि संख्या कितनी है 1/1/2013 तक व उनमें SC/ST/OBC/General वर्ग के अधिकारियों की संख्या कितनी है जानकारी उपलब्ध करायें

5 गृह मंत्रालय में तैनात अफसरों में IPS अधिकारी कितने हैं व कौन-2 से पदों पर काम कर रहे हैं उनके नाम व पद क्या है व विभाग

6 गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली पुलिस को कितने निर्देश दिये गये हैं कि जिनमें दिल्ली पुलिस दिल्ली SHO, व ACP, SDPC, व DCP जिला अधिकारियों की नियुक्ति SC/ST वर्ग व महिला SHO व ACP [illegible] कि नियुक्ति कि जाये सबका अनुपात है जानकारी उपलब्ध करायें

7 दिल्ली के उपराज्य पाल के पास दिल्ली पुलिस सब की कौन-2 शक्तियां हैं कौन-से किस नियमों के अनुसार जानकारी उपलब्ध करायें

(Dr. Ravi Kumar Ezwal Jatav)
National Prisendent
SWABHIMAN ..... EK MISSION
E-43 Gali No. 2, Pandav Nagar, Patparganj, Delhi-91

नाम! डॉ० रवि कुमार स्वाभिमानजाटव
पता- E 43 पांडव नगर पटपड़ गंज
दिल्ली -110091 गली नं० 2
9810378083

कारों दिल्ली पुलिस में एस के जिनके मालिकान को है कि जो गिरफ्तार हो चुके है व जो गिरफ्तार हो चुके उनको व जिनका तासकार हो चुका है अभी तक दिल्ली पुलिस ने पकड़ा पर बैठे हुए है उनके नाम व उनके पद व तासकार अपना कर रहे इत्यादि विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराये

कार्यों पर रोक अपराधों को रोकने के लिये भारतीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों व दिल्ली ~~कि~~ पुलिस को क्या नीति नियम जारी किये है प्रतिलिपि सहित उपलब्ध कराये

व दिल्ली पुलिस में एक जिले में 2,3-DCP काम करते है व PHQ में सभी बड़े स्तर के अधिकारी बैठते है लेकिन उनका मिलना मैं व्यस्तता रहती है आम जनता से मिलने का समय 1 घण्टा चार घण्टे के जन समस्याओं पर इतना कम समय व पूरे दिन मीटिंग में व्यस्तता होने के कारण जन समस्याओं पर गौर नहीं किया जाता है एक जिले में एक DCP जनसमस्याओं की सुनवाई के लिये काम करे उनको अपने स्तर पर हल करे ऐसा कोई नीति नियम, यदि गृह मंत्रालय व दिल्ली पुलिस का विचार है नीति नियमों व नियमों की प्रतिलिपि सहित उपलब्ध कराये

किसी भी प्रकार के अपराध को रोकने के लिये व अपराध के विषय में बचपन से ही कानून के प्रति जागरूकता लाने के लिये भारतीय गृह मंत्रालय HRD मंत्रालय के साथ मिलकर, स्कूल कॉलेज में नये कानूनों की जानकारी के लिये काम किये जायेंगे व बचपन से ही जब कानून कि जागरूकता होगी तब अपराधों पर कुछ हद तक अंकुश लग पायेगा इस विषय पर जानकारी उपलब्ध कराये

3. दिल्ली राज्य से या अन्य राज्य से कोई भी व्यक्ति जम्मू ~~कश्मीर~~ कश्मीर घूमने या अन्य किसी काम से जाता है और उसकी हत्या हो जाये या उसकी कार या अन्य सामान चोरी हो जाये तब वह पुलिस से शिकायत करे और पुलिस उसकी शिकायत पर गौर ना करे और उसकी समस्या का समाधान नीचे से लेकर ऊपर स्तर के अधिकारियों द्वारा ना किया जाये व प्रशासनिक स्तर पर भी उसकी समस्या का समाधान ना किया जाये तब दिल्ली में वह किस अधिकारी के पास ~~अपना~~ अपनी समस्या के समाधान के लिये जा सकता है MHA उस अधिकारी का नाम व उसका पद व उससे मिलने का समय व उसका टेली फोन नम्बर इत्यादि ~~विषय~~ विषयों की जानकारी उपलब्ध कराये

168 (11)

सारी दिल्ली पुलिस में पद के जिनके पुलिसकर्मी ... है जो रिटायर हो चुके हैं व जो रिटायर हो चुके उनको ... व जिनका तालबार हो चुका है अभी तक दिल्ली पुलिस में कहाँ पर लगे हुए हैं उनके नाम व उनके पद व तालबार आकड़ा ...रण इत्यादि विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराये

कार्यों पर ... अपराध ना हो इसके लिये भारतीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों व दिल्ली ~~कि~~ पुलिस को क्या नीति नियम जारी किये हैं प्रति लिपि की उपलब्ध कराये

व दिल्ली पुलिस में एक जिले में 3-DCP काम करते हैं व PHQ में सभी बड़े स्तर के अधिकारी बैठते हैं लेकिन ज्यादा मीटिंग में व्यस्त रहते हैं आम जनता से मिलने का समय 1 घण्टा या 2 घण्टे है जन समस्याओं पर इतना कम समय व पूरे दिन मीटिंग में व्यस्तता इसके कारण जन समस्याओं पर गौर नहीं किया जाता है एक जिले में एक DCP जनसमस्याओं को सुनवाई के लिए काम करें उनको अपने स्तर पर हल करे ऐसा कोई नीति नियम, यदि ग्रह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को दिये हैं नीति नियमों व ... की प्रति लिपि कापी उपलब्ध कराये

किसी भी प्रकार के अपराध को रोकने के लिये व अपराध के विषय में बचपन से ही कानून के प्रति जागरूकता लाने के लिए भारतीय गृह मंत्रालय HRD मंत्रालय के साथ मिलकर, स्कूल कालेज में नये कोर्स को शुरूआत के जरिये काम किये जायेंगे व बचपन से ही जब कानून कि जागरूकता आयेगी तब अपराधों पर कुछ हद तक अंकुश लग पायेगा इस विषय पर जानकारी उपलब्ध कराये

3. दिल्ली राज्य से या अन्य राज्य से कोई भी व्यक्ति जम्मू ~~कश्मीर~~ कश्मीर घूमने या अन्य किसी काम से जाता है और उसकी हत्या हो जाये या उसकी कार या अन्य सामान चोरी हो जाये तब वह पुलिस से शिकायत करे और पुलिस उसकी शिकायत पर गौर ना करे और उसकी समस्या का समाधान नीचे से लेकर ऊपर स्तर के अधिकारियों द्वारा ना किया जाये व प्रशासनिक स्तर पर भी उसकी समस्या का समाधान ना किया जाये तब दिल्ली में वह किस अधिकारी के पास ~~अन्य~~ अपनी समस्या के समाधान के लिये जा सकता है MHA उस अधिकारी का नाम व उसका पद व उससे मिलने का समय व उसका टेली फोन नम्बर इत्यादि ~~विषय~~ विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराये

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक: 28/01/2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत ~~श्री/श्रीमती/सुश्री~~ चौ० रवि कुमार जवाल आदव के आवेदन को अंतरित किया जाना।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत ~~श्री/श्रीमती/सुश्री~~ चौ० रवि कुमार रजवाल आदव से प्राप्त दिनांक ——2012 के आवेदन (इस मंत्रालय में दिनांक 16/01/2013 को प्राप्त) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें दिल्ली पुलिस सम्बन्धी एवं VIP सुरक्षा संबंधी आदि के बारे में सूचना मांगी गई है।

2. उक्त विषय-वस्तु अवर सचिव (दिल्ली पुलिस-2) / निदेशक (पी.एम.) एवं पी.एम. विभाग से संबंधित है। अतः यह आवेदन उपर्युक्त कार्रवाई हेतु उस प्रभाग को अंतरित किया जाता है।

3. 10/- रु. का निर्धारित आवेदन शुल्क दिनांक 16/01/2013 की रसीद सं. 23402 के तहत इस मंत्रालय में प्राप्त हो गया है जिसकी प्रति संलग्न है।

सु. सामंत
(एस. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

(i) अवर सचिव (दिल्ली पुलिस-2)
गृह मंत्रालय,
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

(ii) निदेशक (पी.एम.)
गृह मंत्रालय
एनडीसीसी-II, जयसिंह रोड,
नई दिल्ली

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित

श्री चौ० रविकुमार रजवाल आदव
E-43 पांडव नगर, पटपड़गंज, गली नं.-2,
दिल्ली - 110091